न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती करूणा लाड़ोती ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 4 / 2024

जी.सी.एम.एस.संख्या :— 2024 / 56

प्रार्थी		विप्रार्थी
1. बंसतीदेवी पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर		1. कंचन पुत्री सुरेश जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 2. किशननाथ पुत्र सुरेश जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 3. भंवरनाथ पिता रामनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 4. मीठुनाथ पिता सुरेशनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 5. गोपाल पिता मीठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 6. धर्मी पत्नि मीठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 7. पप्पुनाथ पिता मीठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 8. भैरूनाथ पिता शंकरनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 9. रतननाथ पिता मीठुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 10. घीसानाथ पिता रूपनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 11. मथरादेवी पत्नि लादुनाथ जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर 12. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर 13. शाखा प्रबन्धक बीआरकेजीबी शाखा रायपुर तहसील रायपुर 14. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. जरिये व्यवस्थापक बागड़ तहसील रायपुर 15. तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी, प्रार्थी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन रंगरेज, अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9
3. विपक्षी संख्या 10 लगायत 14 एकपक्षीय

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

—: निर्णय :— दिनांक 17/3/2026

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीया की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 120 में अंकित आराजी संख्या 735/68 रकबा 0.66 हैक्ट आराजी सख्या 739/78 रकबा 0.27 हेक्ट. भुमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 हेक्टर भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस (चाहा गया रास्ता) प्रार्थनापत्र के साथ पेश है।

02. प्रार्थनापत्र की कलम सख्या एक में अकित प्रार्थीया की कृषि आराजी संख्या 735/68 रकबा 0.66 हैक्ट आराजी संख्या 739/78 रकबा 0.27 हेक्ट, भुमि में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता ग्राम मियाला तहसील रायपुर की सीमा से लगता हुआ पूर्वी दिशा की और सरकारी रास्ते से लगता हुआ विपक्षी सख्या एक लगायत चार की आराजी सख्या 79 की उत्तरी पाली से होता हुआ आगे विपक्षी संख्या पाच लगायत नौ की आराजी संख्या 740/78 की उत्तरी पूर्वी पाली से होता हुआ आगे प्रार्थीया की पूर्वी पाली पर होता हुआ आगे विपक्षी संख्या दस व ग्यारह की पूर्वी पाली पर होता हुआ प्रार्थीया की आराजियात में जाता है जिसका उपयोग प्रार्थीया वर्षो से फसल काश्त के दौरान, संज बैल गाड़ी ट्रेक्टर आदि लेकर जाते थे तथा खाद आदि डालते आ रहे थे। प्रार्थीया की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। प्रार्थीया की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थीया के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से लाल स्याही से दर्शाया गया है। एवं प्रार्थीया की निजी आराजी को हरे रंग से दर्शाया है एव मौके पर विद्यमान सरकारी रास्ते को ब्ल्यु स्याही से दर्शाया गया है।

03. प्रार्थीया की उक्त कृर्षि आराजियात में आवगमन का रास्ता मौके पर ग्राम मियाला प०ह० बागड तहसील रायपुर की सरकारी भूमी रास्ता आवागमन का रास्ता खुला हुआ है किन्तु विपक्षी खातेदारो ने रास्ते को बन्द करने का उपक्रम किया है एव बाधा कारीत की है जिससे प्रार्थीया को अपनी कृर्षि भुमि में आवागमन के प्रस्तावित रास्ते को जिसे प्रस्तावित नक्शा ट्रेस में दर्शाया है को आवागमन हेतू 20 फिट चौडे रास्ते को स्थाई रुप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता किस्म के रुप में दर्ज कराया जाना आवश्यक हो गया है।

04. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की ग्राम मियाला की आराजी संख्या 79 रकबा 0.81 है0 व आराजी संख्या 740/78 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 737/68 रकबा 0.25 है0 में आवागमन हेतु वर्षो पुराना कदमी रास्ता जो सरकारी रास्ते से लगता हुआ है को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार 20 फीट चौड़ाई में राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि विपक्षीगण को दिलानें का आदेश प्रदान फरमाया जावें एंव रास्ते में कारित अवरोध को मौके से पुलिस इमदाद हटवाया जावे।

05. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 लगायल 9 ओर से अधिवक्ता जाकिर हुसैन रंगरेज द्वारा जवाब प्रस्तुत किया किया गया एवं विपक्षी संख्या 10, 11 की ओर से अधिवक्ता पूनमनाथ सपेरा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

गया जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 18.11.2025 को जवाब बन्द किया गया तथा विपक्षी संख्या 10, 11, 13 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.01.2026 को गई एवं विपक्षी संख्या 12, 14 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 18.11.2025 को की गई एवं विपक्षी संख्या 15 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

06. विप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अकंन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 व 2 गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 79, 740/78 की उत्तरी पाली पर न तो था तथा न ही वर्तमान है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण की पाली पर आवागमन कभी नही किया है न ही मौके पर कोई रास्ता विद्यमान है। प्रार्थीया को आवागमन के लिए रास्ते की आवश्यकता नही है। प्रार्थीया अपनी आराजियात में आराजी संख्या 816/738, व 816/67 मे से होकर आराजी संख्या 737/68 मे से होकर अपनी आराजी में आवागमन कर रही है। प्रार्थीया उक्त रास्ते का बिलानाम करवाती है या रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि के बदले भूमि देते है तो कोई आपत्ति नही है। प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण की आराजियात में चाहा गया रास्ता आत्यांधित आवश्यकता का रास्ता नही है। प्रार्थीया विपक्षीगण की आराजी संख्या 79, 740/78 से रास्ता चाहा गया है परन्तु इससे पहले आराजी संख्या 813/67, 816/738, 741/88, 824/742 व 124 खातेदारी भूमियां जिसमें रास्ता दर्ज नही है न ही उक्त आराजियात से रास्ता चाहा गया है ऐसे में प्रार्थीया अपनी आराजियात में कैसे आवागमन करेगी जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र गलत, झुठे एवं मनगंठत तथ्यो पर आधारित होने से कतई स्वीकार नही की जा सकती है। प्रार्थीया की आराजी में आवागमन विपक्षीगण की आराजी संख्या 79, 740/78 की उत्तरी पाली पर मौजुद नही है। तथा न ही उक्त रास्ते से आवागमन किया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अपूर्ण है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाए।

07. तहसीलदार रायपुर ने जरिए पत्रांक/राजस्व/4/2024/986 दिनांक 19.08.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट, नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार :—

i. ग्राम मियाला के आराजी संख्या 735/68 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 739/78 रकबा 0. 27 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 है0, प्रार्थीया बंसतीदेवी पत्नि मांगुनाथ जोगी निवासी मियाला के नाम दर्ज रेकार्ड है।

ii. प्रार्थीया बंसतीदेवी पूर्व में आराजी संख्या 79 व 740/78, 737/68 से होकर अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन करती थी परन्तु विपक्षी खातेदारों द्वारा वर्तमान में रास्ता बंद कर दिया गया है।

iii. प्रार्थीया जिस आराजी से रास्ता लेना चाहती है सभी आराजी ग्राम मियाला में स्थित होकर सामलाती दर्ज रेकार्ड है, आराजी संख्या 79 रकबा 0.81 है0 भंवरनाथ पिता रामनाथ हिस्सा 1/3 जोगी निवासी मियाला, आराजी संख्या 740/78 रकबा 0.26 है0 गोपालनाथ पिता मिठुनाथ जोगी वगैरह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 737/68 रकबा 0.25 है0 कैलाशनाथ पिता घीसानाथ जोगी वगैरह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

iv. प्रार्थीया उक्त आराजियात 79, 740/78, 737/78 से 20 फीट चौड़ाई में रास्ता चाहती है जिसको नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

v. ग्राम मियाला की खातेदारी आराजी संख्या 816/738 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 813/67 रकबा 0.02 है0 जो कि गोपालनाथ पिता मिठुनाथ जोगी वगैरह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें सभी खातेदारान के आने जाने का रास्ता बना हुआ है तथा नक्शे में रास्ते का अंकन भी किया हुआ है परन्तु उक्त रास्ता बंद कर रखा है।

vi. विपक्षी भंवरनाथ पिता रामानाथ जोगी आराजी संख्या 79 मे से रास्ता देने में सहमत है और रास्ते की भूमि के बदले पास के ही आराजी संख्या 71 रकबा 0.57 है0 किस्म बीड।। मे से भूमि चाहता है नकद राशि नही चाहता है।

vii. प्रार्थीया जिस आराजी से रास्ता चाहती है जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :—

क. स.	नाम ग्राम	आराजी संख्या	कुल रकबा	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि		भौगोलिक स्थिति	भूमि की डीएलसी दर	भूमि की कीमत	भूमि की दुगुनी कीमत
				ल.Xचौ.	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में				
1	मियाला	79	0.09	80X4	320	समतल	296000	9472	18944
2	मियाला	739/78	0.02	50X4	200	समतल	296000	5920	11840
3	मियाला	740/78	0.02	30X4	120	समतल	296000	3552	7104
4	मियाला	737/68	0.15	60X4	240	समतल	296000	7104	14208

viii. उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया तथा मौका रिपोर्ट पर्चा बनाया गया जो संलग्न है।

08. प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीया ने आराजी संख्या 735/68, 739/78 के लिए रास्ता चाहा है। आराजी संख्या 79 ग्रेवल सड़क से लगता हुआ आगे आराजी संख्या 740/78 से होते हुए आगे आराजी संख्या 737/68 मे से होते हुए रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीया द्वारा चाहे गए रास्ते का वर्षो से उपयोग उपभोग हो रहा है। विपक्षीगण के जवाब में जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है उस पर मौके पर रास्ते के अलामात नही होकर रास्ता बन्द है। मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि चाहे गए रास्ते से पूर्व में आवागमन होता था अब बंद कर दिया गया है। वैकल्पिक रास्ता मौका रिपोर्ट में बन्द बताया गया है। आराजी संख्या 737/68 का खातेदार प्रार्थीया की आराजी से आवागमन करता है। प्रकरण में उक्त खातेदार के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। आराजी संख्या 740/78 के खातेदार भी आराजी संख्या 79 से आवागमन करते है और कुएं तक जाने के लिए प्रार्थी की आराजी से आवागमन करते है। आराजी संख्या 84 कुआं है। प्रार्थीया के लिए आत्यंतिक आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

09. विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा अपूर्ण अस्पष्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सरकारी रास्ते का वर्णन नही किया गया है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 7 वैकल्पिक रास्ता भी प्रार्थीगण की आराजी मे से ही है। कदमी रास्ता जो वैकल्पिक है वह खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) रायपुर

आराजियात में है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता से 3 आराजी खराब हो रही है। वैकल्पिक रास्ता मौके पर बना हुआ है, जिसको दर्ज कराने पर अप्रार्थी को आपत्ति नही है यदि भूमि के बदले भूमि दी जाए तो कोई आपत्ति नही है। जिस रास्ते का ग्रेवल सड़क बताया गया है वह रास्ता खातेदारी में और वहां से रास्ता नही चाहा गया है। चाहा गया रास्ता बिलानाम मे न होकर खातेदारी आराजियात में है। वैकल्पिक रास्ता बताया गया है उसमें कृषि आराजियात कम खराब हो रहा है। वैकल्पिक रास्ता जो बताया गया है वह रास्ता विभाजन के दौरान छोड़ा गया रास्ता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

10. प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा बहस पर विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः प्रत्युत्तर मे निवेदन किया कि आराजी संख्या 79 से लगती हुई 20—22 फीट में सड़क बनी हुई है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के बंद होने और प्रार्थी द्वारा उपयोग न करने का अंकन किया गया है। आराजी संख्या 78, 68, 67 पहले शामलाती थे जिसका विभाजन हुआ पर रास्ते का प्रावधान नही हुआ है। विपक्षी संख्या 10, 11 भी प्रार्थी की जमीन का उपयोग कर आवागमन कर रहे है। रकबा बहुत कम होने से जमीन के बदले जमीन संभव नही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

11. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251—क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः—

धारा 251क— अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना :— (1) जहॉं —

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुॅंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, —

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि —

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुॅंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या

उपखण्ड अधिकारी रायपुर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

आराजियात में है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता से 3 आराजी खराब हो रही है। वैकल्पिक रास्ता मौके पर बना हुआ है, जिसको दर्ज कराने पर अप्रार्थी को आपत्ति नही है यदि भूमि के बदले भूमि दी जाए तो कोई आपत्ति नही है। जिस रास्ते का ग्रेवल सड़क बताया गया है वह रास्ता खातेदारी में और वहां से रास्ता नही चाहा गया है। चाहा गया रास्ता बिलानाम मे न होकर खातेदारी आराजियात में है। वैकल्पिक रास्ता बताया गया है उसमें कृषि आराजियात कम खराब हो रहा है। वैकल्पिक रास्ता जो बताया गया है वह रास्ता विभाजन के दौरान छोड़ा गया रास्ता है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

10. प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा बहस पर विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर पुनः प्रत्युत्तर मे निवेदन किया कि आराजी संख्या 79 से लगती हुई 20–22 फीट में सड़क बनी हुई है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के बंद होने और प्रार्थी द्वारा उपयोग न करने का अंकन किया गया है। आराजी संख्या 78, 68, 67 पहले शामलाती थे जिसका विभाजन हुआ पर रास्ते का प्रावधान नही हुआ है। विपक्षी संख्या 10, 11 भी प्रार्थी की जमीन का उपयोग कर आवागमन कर रहे है। रकबा बहुत कम होने से जमीन के बदले जमीन संभव नही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

11. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु न्यायालय धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझता है, जिसके अनुसारः–

धारा 251क– <u>अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना</u> :– (1) जहॉ –

ख कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है, –

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पाता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी अपनी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है, कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

12. न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया तो पाया कि प्रार्थीया बंसतीदेवी के नाम ग्राम मियाला में स्थित आराजी संख्या 735/68 रकबा 0.66 हैक्ट आराजी सख्या 739/78 रकबा 0.27 हेक्ट. भुमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.93 हेक्टयर के लिए रास्ता चाहा गया है। मौका रिपोर्ट की कलम संख्या 7 में अंकन अनुसार ग्राम मियाला की खातेदारी आराजी संख्या 816/738 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 813/67 रकबा 0.02 है0 जो कि गोपालनाथ पिता मिठुनाथ जोगी वगैरहा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उसमें सभी खातेदारों के नाम आने-जाने का रास्ता दिया हुआ है तथा नक्शे में भी अंकन किया हुआ है। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2057-2076 खाता संख्या 145 में विभाजन से पूर्व की आराजी संख्या 67, 68, 78 का अंकन है तथा उक्त आराजियात के खातेदार शंकरनाथ मिठुनाथ पिता नोलानाथ प्रेमनाथ पिता मोडानाथ, मांगुनाथ प्रेमनाथ पिता जोधानाथ, गोकलनाथ छोगानाथ घीसानाथ पिता रूपनाथ के नाम दर्ज रेकार्ड थी जिसका का बाद में विभाजन किया गया। वर्तमान तथा विभाजन से पूर्व की जमाबन्दी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आराजी संख्या 735/68, 739/78 जिनके लिए रास्ता चाहा गया है तथा आराजी संख्या 740/78, 737/68 जिसमें से रास्ता चाहा गया है, आराजी संख्या 813/67 एवं 816/738 जिसे सभी खातेदारों के आने-जाने के लिए रास्ते के रूप में शामलाती छोड़ा गया है यह सभी आराजी संख्या 67, 68, 78 के विभाजन के पश्चात् नवगठित आराजियात के कमांक है। इससे यह प्रतीत होता है कि विभाजन के दौरान रास्ते के रूप में शामलाती भूमि रखते हुए रास्ते की समुचित व्यवस्था की गई थी जिसे तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते के रूप में बताया गया है एवं नक्शे में अंकन होना भी बताया गया है। उक्त रास्ता मौके पर बन्द बताया गया है। चूंकि विभाजन के दौरान रास्ते की समुचित व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है। उक्त रास्ता आराजी संख्या 84 जो कि गै.मु. आचा है तक जाता है तथा यहां से प्रार्थीया की आराजी संख्या 735/68 तक पहुँचता है। अतः उक्त बन्द रास्ते को खुलवाया जाकर आवागमन के रूप में उपयोग किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थीया की आराजी संख्या 735/68 तक आवागमन किया जा सके। प्रार्थीया की आराजी संख्या 739/78 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 737/68 से प्रस्तावित रास्ता एकमात्र रास्ता होकर आत्यातिक आवश्यकता का रास्ता है। अतः आराजी संख्या 739/78 में पहुँच हेतु आराजी संख्या 737/68 में से 4 मीटर चोड़ा रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

13. उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु वांछित रास्ता उपलब्ध करवाना अधिक उपयुक्त है, अतः हम प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए यहां राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3 (52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में वर्णित प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसारः-

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर

यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग का विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है,तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसे सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जॉच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव हैं। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई। कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। यह नया मार्ग लघुत्तम या निकटतम रूप से होगा तथा 30 फीट से अधिक चौड़ा नहीं होगा। रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में अभिलेखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया की आराजी संख्या 735/68 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 813/68 एवं 816/738 में शामलाती रास्ते के रूप में छोड़ी गई भूमि मे से रास्ता आराजी संख्या 84 जो कि गै.मु. आचा है तक जाता है तथा यहां से प्रार्थीया की आराजी संख्या 735/68 तक पहुँचता है। अतः उक्त बन्द रास्ते को खुलवाया जाकर आवागमन के रूप में उपयोग किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थीया की आराजी संख्या 735/68 तक आवागमन किया जा सके।

उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार रायपुर द्वारा संलग्न नक्शा अनुसार आराजी संख्या 737/68 में प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौड़ाई 60 मीटर लम्बाई का कुल रकबा 240 वर्गमीटर है। प्रार्थीया को अपनी कृषि आराजियात में आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यता है। प्रार्थीगण को आवागमन के लिए 4 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण द्वारा आवागमन किया जा सकेगा। प्रार्थीया की अपनी कृषि आराजियात में आवागमन हेतु 4 मीटर चौड़ाई का कुल 240 वर्गमीटर भूमि की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर –296000/–रूपये प्रति हैक्टयर के अनुसार प्रतिकर हेतु दुगूनी देय राशि– 14208/–रूपये बनती है, जिसको प्रार्थीया विपक्षी खातेदाराने को भुगतान करने हेतु सहमत है। प्रार्थीया की आराजी संख्या 739/78 एवं विपक्षी की आराजी संख्या 737/68 दोनो एक दूसरे से लगती हुई आराजियात है। अतः भूमि के बदले भूमि दिए जाने का विकल्प भी विचारणीय एवं उत्तम है। अतः न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोश अनुरूप आंशिक स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 आंशिक साबित होने एवं सारवान होने के कारण आराजी संख्या 739/78 के सन्दर्भ में स्वीकार किया जाता है, कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ के आराजी संख्या 739/78 रकबा 0.27 है0 भूमि में पहुंच हेतु आराजी संख्या 737/68 रकबा 0.25 है0 मे से 4मीटर चौड़ा 60 मीटर लम्बाई में 240 वर्गमीटर भूमि संलग्न नक्शानुसार 4 मीटर चौड़ाई में सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार रायपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 14208/–(अक्षरे चौदह हजार दो सौ आठ) रूपयें की राशि विपक्षीगण खातेदारान को भुगतान करवाए जाने के उपरान्त अथवा पक्षकारों की

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

सहमति पर भूमि के बदले भूमि के प्रावधान अनुसार रास्ते के उपयोग के आने वाली भूमि के बदले में प्रार्थीया की भूमि मे से उतने रकबे की भूमि विपक्षी खातेदारान के नाम दर्ज करते हुए उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे। मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रार्थीया की आराजी संख्या 735/68 में आवागमन हेतु आराजी संख्या 813/68 एवं 816/738 में शामलाती रास्ते के रूप में छोड़ी गई भूमि मे से रास्ता आराजी संख्या 84 जो कि गै. मु. आचा है तक जाता है तथा यहां से प्रार्थीया की आराजी संख्या 735/68 तक पहुॅंचता है तथा मौके पर बन्द है। अतः उक्त बन्द रास्ते को खुलवाया जावे ताकि प्रार्थीया की आराजी संख्या 735/68 तक आवागमन किया जा सके। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(करूणा लाड़ोती)
उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/3/2026 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर, जिला भीलवाड़ा